भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 409

दिनांक 22.07.2026 को उत्तरार्थ

पंचायत हस्तांतरण सूचकांक

409 # श्रीमती सीमा द्विवेदीः
श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री नरेश बंसलः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पंचायत हस्तांतरण सूचकांक लागू किया गया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों की प्रगति का आकलन किया है;

(ग) क्या इस सूचकांक के परिणामों का उपयोग नीति निर्माण और पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है;

(घ) क्या इस सूचकांक के अंतर्गत प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन या सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क)और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में 'पंचायत', 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों ने अपने अलग-अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं।

हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रों के दौरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, आदि के माध्यम से, पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता रहता है।

इस मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट को केवल जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए जारी किया है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों को, चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013-14 से 2021-22 के बीच अंतरण सूचकांक का दायरा 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है। अंतरण सूचकांक और उप-सूचकांकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है कि वे अपनी पंचायतों के कामकाज की समीक्षा करें, इस रिपोर्ट को लागू करें या अपनी विशेष आवश्यकताओं के हिसाब से नीति बनाने और पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए रिपोर्ट के नतीजों का उपयोग करें।

(ग) जी हाँ, महोदय| मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस योजना के तहत, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे कि बुनियादी मार्गदर्शन और पुनरावलोकन कार्यक्रम, विषयगत हस्तक्षेप, विशेष प्रशिक्षण और पंचायत विकास योजना से संबंधित कार्यक्रम आदि, के अंतर्गत क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जाती है| यह योजना पंचायत प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु एक्सपोजर विजिट को भी बढ़ावा देती है, साथ ही प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री आदि के विकास में भी सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम/आईआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए स्व-स्रोत राजस्व (ओएसआर) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि कर और गैर-कर स्रोतों से ओएसआर कैसे उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना है, जिससे महिला नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा मिल सके।

(घ) जी नहीं, महोदय ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुबंध-I

दिनांक 22.07.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 409 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

अंतरण सूचकांक (डीआई) और उप-सूचकांक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग

श्रेणी	डीआई		रूपरेखा		कार्य		वित्त		पदाधिकारियों		क्षमतानिर्माण		जवाबदेही	
	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक
सामान्यश्रेणीकेराज्य														
1	कर्नाटक	72.23	केरल	83.56	तमिलनाडु	60.24	कर्नाटक	70.65	गुजरात	90.94	तेलंगाना	86.19	कर्नाटक	81.33
2	केरल	70.59	महाराष्ट्र	74.74	कर्नाटक	57.62	केरल	62.89	तमिलनाडु	84.25	तमिलनाडु	84.29	केरल	81.18
3	तमिलनाडु	68.38	कर्नाटक	74.43	ओडिशा	57.46	तमिलनाडु	55.78	केरल	82.99	गुजरात	83.96	महाराष्ट्र	80.36
4	महाराष्ट्र	61.44	हरियाणा	73.3	राजस्थान	56.13	राजस्थान	54.56	कर्नाटक	80.11	गोवा	77.7	उत्तर प्रदेश	76.07
5	उत्तरप्रदेश	60.07	मध्यप्रदेश	70	केरल	53.86	ओडिशा	53.57	छत्तीसगढ	78.33	आंध्र प्रदेश	76.69	तमिलनाडु	71

6	गुजरात	58.26	ओडिशा	69.2	उत्तर प्रदेश	46.89	पश्चिम बंगाल	52.96	बिहार	75.13	उत्तर प्रदेश	74.44	आंध्र प्रदेश	60.49
7	राजस्थान	56.67	राजस्थान	68.54	महाराष्ट्र	46.52	उत्तर प्रदेश	51.76	महाराष्ट्र	73.63	महाराष्ट्र	73.35	तेलंगाना	60.43
8	पश्चिमबंगाल	56.52	छत्तीसगढ	68.51	छत्तीसगढ	42.39	छत्तीसगढ	51.45	आंध्र प्रदेश	68.78	कर्नाटक	71.59	छत्तीसगढ	58.17
9	छत्तीसगढ	56.26	तमिलनाडु	66.83	गुजरात	41.23	तेलंगाना	46.86	पश्चिम बंगाल	67.76	केरल	71.11	पश्चिम बंगाल	57.87
10	तेलंगाना	55.1	पश्चिम बंगाल	62.3	मध्यप्रदेश	39.47	बिहार	43.86	राजस्थान	64.03	पश्चिम बंगाल	70.63	ओडिशा	51.92
11	आंध्रप्रदेश	54.43	गुजरात	61.65	तेलंगाना	38.77	आंध्र प्रदेश	43.19	उत्तर प्रदेश	63.13	मध्यप्रदेश	70	बिहार	51.64
12	मध्यप्रदेश	50.94	आंध्र प्रदेश	60.08	पश्चिम बंगाल	33.07	महाराष्ट्र	42.96	मध्यप्रदेश	62.22	राजस्थान	61.43	गुजरात	47.9
13	ओडिशा	50.03	उत्तर प्रदेश	54.64	पंजाब	31.97	मध्यप्रदेश	42.34	तेलंगाना	58.01	बिहार	55.27	हरियाणा	41.93
14	बिहार	48.24	गोवा	52.88	आंध्र प्रदेश	30.5	गुजरात	41.63	गोवा	46.31	छत्तीसगढ	47.61	राजस्थान	41.43
15	हरियाणा	39.33	बिहार	49.76	झारखंड	27.56	हरियाणा	40.38	हरियाणा	38.48	ओडिशा	43.43	मध्यप्रदेश	36.55
16	गोवा	37.71	पंजाब	47.26	बिहार	18.69	पंजाब	36.36	झारखंड	27.83	हरियाणा	35.3	गोवा	31.75

												5		
17	पंजाब	29.34	तेलंगाना	45.35	हरियाणा	16.82	झारखंड	30.05	ओडिशा	27.42	पंजाब	26.34	पंजाब	24.87
18	झारखंड	27.73	झारखंड	42.3	गोवा	6.63	गोवा	26.88	पंजाब	8.2	झारखंड	24.72	झारखंड	16.47
पूर्वोत्तर / पहाड़ीक्षेत्रकेराज्य														
1	त्रिपुरा	57.58	उत्तराखंड	70.95	सिक्किम	42.59	त्रिपुरा	59.16	हिमाचल प्रदेश	70.06	हिमाचल प्रदेश	83.68	त्रिपुरा	70.69
2	हिमाचलप्रदेश	53.17	त्रिपुरा	66.5	असम	28.66	हिमाचल प्रदेश	48.41	असम	65.12	त्रिपुरा	76.82	असम	57.14
3	उत्तराखंड	49.11	सिक्किम	65.27	हिमाचल प्रदेश	23.01	उत्तराखंड	47.11	उत्तराखंड	60.49	असम	71.96	उत्तराखंड	52.72
4	असम	49.06	हिमाचल प्रदेश	62.22	त्रिपुरा	21.5	सिक्किम	43.5	त्रिपुरा	52.22	उत्तराखंड	56.02	हिमाचल प्रदेश	39.41
5	सिक्किम	43.81	असम	54.04	उत्तराखंड	16.68	असम	34.06	सिक्किम	31.42	सिक्किम	53.23	सिक्किम	34.94
6	अरुणाचलप्रदेश#	17.96	अरुणाचल प्रदेश#	41.5	अरुणाचल प्रदेश#	12.7	मणिपुर#	13.17	मणिपुर#	21.4	अरुणाचल प्रदेश#	37.4	मणिपुर#	28.75
7	मणिपुर#	17.13	मणिपुर#	34.05	मणिपुर#	11.23	अरुणाचल प्रदेश#	6.83	अरुणाचल प्रदेश#	5.74	मणिपुर#	3.75	अरुणाचल	22.56

													प्रदेश#	
संघ राज्य क्षेत्र														
1	जम्मूऔरकश्मीर	27.85	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55.21	जम्मू और कश्मीर	11.88	पुदुचेरी	16.16	लक्षद्वीप#	39.53	जम्मू और कश्मीर	55.08	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45.73
2	अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	27.15	लक्षद्वीप#	31.42	लद्दाख	11.08	जम्मू और कश्मीर	13.29	जम्मू और कश्मीर	36.97	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54.82	जम्मू और कश्मीर	39.76
3	लक्षद्वीप#	18.32	जम्मू और कश्मीर	23.07	लक्षद्वीप#	10.36	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.09	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	31.69	लद्दाख	29.32	पुदुचेरी	29.33
4	लद्दाख	16.18	लद्दाख	22.21	पुदुचेरी	4.63	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	5.45	लद्दाख	25.25	लक्षद्वीप#	15.18	लक्षद्वीप#	28.13
5	पुदुचेरी	16.16	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	22.06	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.5	लक्षद्वीप#	3.99	पुदुचेरी	21.49	पुदुचेरी	13.75	लद्दाख	27.43
6	दादराऔरनगरहवेलीऔरदमनऔरदी	13.62	पुदुचेरी	9.31	दादरा और नगर हवेली और	0	लद्दाख	0	अंडमान और निकोबार द्वीप	20.94	दादरा और नगर हवेली और	8.57	दादरा और	24.91

	व#				दमन और दीव#				समूह		दमन और दीव#		नगर हवेली और दमन और दीव#	
	राष्ट्रीयऔसत	43.89		54.29		29.18		37.04		50.96		54.63		47.51

स्रोत:"राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट

नोट: #वे राज्य जिनके लिए पिछले आँकड़े इस्तेमाल किए गए हैं।